आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : वाराणसी,ज़नपद : जौनपुर,तहसील : मड़ियाहू
वाद संख्या : 02065/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T201914360202065
नीतू सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम:- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

श्री सांई सेवा न्यास/ट्रस्ट शंकर आई हास्पिटल रूहट्टा जौनपुर जरिये मुख्य न्यासी नीतू सिंह पत्नी शैलेन्द्र कुमार सिंह निवासी उमरपुर रूहट्टा जौनपुर ने आराजी संख्या 950/3.731हे0 भूमि में से 0.972हे0 भूमि स्थित मौजा सुबाषपुर, परगना व तह–मड़ियाहूँ, जिला–जौनपुर के बावत धारा 80 रा0सं0 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के आलोक में तहसील में हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/तहसीलदार मड़ियाहूँ की जाँच आख्या क्रमशः दिनांक 22.10.2019/25.10.201926.10.2019 नियत प्रारूप पर प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/तहसीलदार मड़ियाहूँ ने इस आशय की जाँच आख्या प्रेषित किया है कि ग्राम–सुबाषपुर, परगना व तह–मड़ियाहूँ, जिला–जौनपुर में स्थित आराजी संख्या 950/3.731हे0 भूमि में से 0.972हे0 भूमि पर खतौनी अभिलेख में श्री सांई सेवा न्यास/ट्रस्ट शंकर आई हास्पिटल रूहट्टा जौनपुर जरिये मुख्य न्यासी नीतू सिंह पत्नी शैलेन्द्र कुमार सिंह निवासी उमरपुर रूहट्टा जौनपुर का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। उक्त आराजियात के 3.731हे0 भूमि में से 0.972हे0 रकबे पर पक्का कमरा, परती व सहन है। मौके पर जोता बोया नहीं जाता है तथा अकृषिक है। गाटा सं0 950/3.731हे0 भूमि में से 0.972हे0 भूमि गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। प्रकरण व्यवसायिक होने के कारण प्रार्थी द्वारा सर्किल रेट के मुताबिक 1 प्रतिशत मु0 60000/– रू0 उद्घोषणा शुल्क (भारतीय स्टेट बैंक शाखा मड़ियाहूँ में जमाकोष करके चालान की मूल प्रति) तथा धनराशि मु0 60000/– रू0 का न्याय शुल्क भारतीय कोर्ट फी स्टैम्प पेपर प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/तहसीलदार मड़ियाहूँ की जाँच आख्या क्रमशः दिनांक 22.10.2019/25.10.2019/26.10.2019 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा–सुबाषपुर परगना व तह0–मड़ियाहूँ, जिला–जौनपुर की गाटा संख्या 950/3.731हे0 भूमि में से 0.972हे0 भूमि का मालगुजारी मुताबिक 60–ख कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त होना घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार मड़ियाहूँ एवं उपनिबन्धक मड़ियाहूँ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

कार्यालय उप जिलाधिकारी/उप मजिस्ट्रेट मड़ियाहूँ, जौनपुर

सत्य प्रतिलिपि
रिडर/पेशकार 30/10/19
उप जिलाधिकारी
मड़ियाहूँ, जौनपुर

30/10/2019

(मोतीलाल यादव)
उप जिलाधिकारी
मड़ियाहूँ–जौनपुर